[श्री रामदास आठवले]

वी.एच.पी. के लोग इनके अपने हैं। जब हमने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम देने के लिए 14 साल तक आन्दोलन किया था तो जब–जब हमने कानून तोड़ा, तब–तब हमें जेल में डाल दिया था, मगर मैं देख रहा था कि वी.एच.पी. के जो लोग हैं, उनको और रामचन्द्र परमहंस जी को आपको अरैस्ट करने की आवश्यकता थी, मगर आपको यह डाउट था कि अगर उनको अरैस्ट करते हैं तो ये अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला–गुल्ला करेंगे और सब हिन्दू आपके खिलाफ जाएंगे।

आप यह तो समझ रहे थे कि 15 तारीख आएगी और 16 को आपकी सरकार जाएगी। हमें ऐसा लगता था कि 15 तारीख आएगी, 16 को आपकी सरकार जाएगी, 17 तारीख आएगी और हमारी सरकार लाएगी। मगर आपकी सरकार गई नहीं, इसलिए हमारी सरकार आई नहीं। सरकार का ही सवाल नहीं है, सरकार तो आप लोग चलाइए। सरकार चलाने में अभी हमारा इंटरैस्ट नहीं है, सरकार चलाने का अभी इंटरैस्ट आपको ही है, आप ही सरकार चला सकते हैं। आपने देखा होगा कि लगान फिल्म में आमिर खान जी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। सब लोगों को लगता है कि ये सब खिलाड़ी अनट्रेन्ड हैं, ये मैच जीतने वाले नहीं हैं, मगर आमिर खान की टीम वहां जीतती है। उसी तरह से साढ़े तीन साल से आप ही जीत रहे हैं। सब लोगों को लगता है कि यह टीम अच्छी नहीं है, मगर आप ही साढ़े तीन साल से जीत रहे हैं। हम इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि जब हमारा कोई खिलाड़ी बॉलिंग करता है तो आपके बैट्समैन को आउट करने के बजाय वह पीछे दूसरे फील्डिंग करने वाले को ही आउट करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए आज की स्थिति ऐसी है कि हम जीतने वाले नहीं हैं, जब तक आपके साथ 30 खिलाड़ी हैं और आप 300 हैं, तब तक आप जीतने वाले हैं। हमारी ट्रेनिंग चालू है और हम अच्छी फील्डिंग करेंगे और आने वाले चुनाव में हम मैच जीतने वाले हैं, तब तक आप खेलते रहिए, जीतते रहिए। देश में शान्ति बनाए रखने के लिए आपको अपनी सरकार की तरफ से कदम उठाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं दो शब्द खत्म करता हूं।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। उनके बारे में विचारों का प्रकटीकरण भी हुआ है। मैं सब को दोहराना नहीं चाहता। एटार्नी जनरल की भूमिका क्या हो, इस पर दो अधिवक्ताओं के भाषण हमने सुने। श्री सोली सोराबजी ने एक वकील के नाते जो राय दी थी, उसका उल्लेख हुआ है। उन्हें ऐसी राय देने का हक था या नहीं था, यह विवाद का विषय है, लेकिन जो वास्तविकता है, उससे देश परिचित हो, यह बहुत जरूरी है।

1994 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की व्याख्या क्या की जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। इस पर भी मतभेद हैं। लेकिन जो निर्णय दिया गया है, वह सर्वमान्य है। उस पर अमल होगा, होना चाहिए। उसके कारण मतभेद के कारण किसी न्यायालय के निर्णय को अमान्य नहीं किया जा सकता या फिर कभी मौका आए तो उससे भी बड़ी बेंच बनाकर वह मामला उसके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर दूसरा निर्णय प्राप्त करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन जब तक वह निर्णय है, तब तक वह मान्य है और उस पर सबको आचरण करना चाहिए।

मैं तेलुगू देशम पार्टी के अपने मित्र से कहना चाहूंगा कि विश्व हिन्दू परिषद ने जो वक्तव्य दिया है शिलाओं के बारे में, कि स्वीकृति है सरकार द्वारा मंदिर के निर्माण की। हम लोग अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। मंदिर का निर्माण का प्रश्न अदालत के अधीन है।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने कंट्राडिक्ट नहीं किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप उनकी बात सुनने को तैयार हैं, मेरी नहीं।...*(व्यवधान)* विश्व हिन्दू परिषद ने इस बात का आग्रह किया था कि हमने जो स्वीकृति दी है, उसके अन्तर्गत जो अदालत का अन्तिम फैसला होगा, उसको हम मान्य करेंगे। उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी के आधार पर जो बातचीत चली, साधुओं में, संतों में, मौलानाओं में, उसका आधार भी यही था। सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीश भी शंकराचार्य जी से मिलने गए थे। उसमें भी यही बात निकली कि जो निर्णय अंतिम होगा, वह अदालत का अंतिम निर्णय होगा। उनकी सलाह से भी आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास हो सकता है। इसलिए यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। वहां शिलाएं रखी हैं। उनका उपयोग उसी दिन होगा, उसी परिस्थिति में होगा जब सर्वोच्च न्यायालय हिन्दुओं के हक में फैसला दे देगा, अन्यथा नहीं। अगर फैसला खिलाफ जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, उसकी भी व्यवस्था है और उसका भी उल्लेख है। अगर

फैसला मुसलमानों के हक में जाता है, कौन सा रास्ता होगा, किस तरह की सुविधाएं होंगी, इन सबका उल्लेख किया गया है। निर्णय अदालत को करना है। बीच में कोई बाधा निर्णय में पैदा करे, यह ठीक नहीं।

सेक्यूलरिज्म की बड़ी चर्चा हुई है। सोमनाथ बाबू ने कह दिया कि सेक्यूलरवाद के शव पर वह एक कापालिक की तरह खड़े हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा कल बोला था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह कापालिक आज भी खड़ा है। बड़ी नाटकीय भाषा है, सेक्यूलरिज्म मरने वाला नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वही चाहते हैं कि मरे नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोई नहीं मरेगा। हमसे पहले भी देश सेक्यूलर था, हमारे बाद भी सेक्यूलर रहेगा। यह देश किसी एक पार्टी के कारण सेक्यूलर नहीं है। यह परम्पराओं का हिस्सा है। हमारे रक्त का रंग है। जब विरोधी दलों का शासन था, उस समय भी देश सेक्यूलर था, क्योंकि यह बहुमतवाद है। मुंडे–मुंडे मितरभिन्ना...

प्रो. रासासिंह रावत : तुंडे–तुंडे सरस्वती।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने एक कहा तो आपने दूसरा कह दिया। यह मत भिन्न हो गया। मैंने अधूरा कहा था, आपने उसे पूरा कर दिया। सेक्यूलरवाद सचमुच में जीवन को व्यतीत करने का एक ढंग है। केवल हमारे देश में नहीं, इस समय सारे विश्व में जो एक कट्टरतावाद पनप रहा है, बढ़ रहा है, वह चेतावनी है। वह अगर सीमाओं में नहीं रहा, लोगों की निष्ठा अगर सीमाओं में नहीं रही तो कोई भी उग्र रूप धारण कर सकती है और वह कानून और व्यवस्था के लिए भी संकट बन सकती है। इसका सबको विचार करना चाहिए। सैकुलरवाद की केवल रट लगाना काफी नहीं है। सैकुलरवाद का सलैक्टिव सैकुलरवाद नहीं हो सकता है। अगर उसका प्रयास किया जाएगा तो पूरा सैकुलरवाद खतरे में पड़ जाएगा मगर मुझे विश्वास है कि ऐसी नौबत देश में नहीं आएगी।

मुझे एक स्पष्टीकरण देना है। बार–बार यह कहा जाता है कि मैंने विश्व हिन्दू परिषद को आश्वासन दिया था कि अमुक तारीख तक उनका मंदिर बन जाएगा या निर्णय हो जाएगा। मैंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। मैंने जो कुछ कहा था, वह सिर्फ इतना था कि इस दिशा में प्रयास किया जाएगा और मुझे आशा है कि मार्च का महीना आने तक शायद कोई रास्ता निकल आए लेकिन रास्ता नहीं निकला और उसके लिए मैंने दोनों पक्षों को दोष दिया था कि जब तक अपनी–अपनी बात नहीं छोड़ेंगे, जब तक कुछ लेना–देना स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक सद्भावना के आधार पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई रास्ता नहीं निकल सकता। इसलिए बार–बार यह कहना कि आपने उनको बढ़ावा दिया था, मेरे बढ़ावे से वे नहीं बढ़े हैं, उनको जो जनता का समर्थन है, उसके कारण वे आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए जरा 14 तारीख की कल्पना करिए। आज तो हम अलग वातावरण में मिले हैं, बातचीत कर रहे हैं लेकिन 14 तारीख को हवा में एक दबाव था। वह ठीक था या सही था, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। एक जैसे कठिनाई थी कि क्या होगा, आशंका थी। अभी–अभी गुजरात से हमने पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाया है और एक नया विवाद खड़ा हो गया। इसलिए सबने राहत की सांस ली जब शिला का दान ले लिया गया और कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं हुआ। स्टेटस–को में किसी तरह की बाधा नहीं पड़ी, शिला ले ली गई और अब शिला सुरक्षित है और जैसा मैंने कहा कि शिला का उपयोग उसी दिन होगा जिस दिन ओरिजिनल स्यूट के बारे में कोई फैसला होगा। बीच में शिला काम में नहीं आने वाली है, इसलिए कोई कारण दिखाई नहीं देता कि इस सवाल को लेकर अब देश में उग्र भावनाएं फैलाई जाएं। इसमें सबको योगदान देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा सार्थक होगी और देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य : वह तो आपने जवाब नहीं दिया जो आपने पीएमओ से शत्रुघ्न सिंह को भेजा था।...*(व्यवधान)* आपने उसका जवाब नहीं दिया। वही तो असली सवाल था, उसका जवाब नहीं आया।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें कोई जवाब नहीं है।... *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जिन विषयों के बारे में मेरे सहयोगी विधि मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने प्रकाश डाल दिया था, उसका पिष्टपेषण मैंने नहीं किया है। पिसे हुए को पीसने से कोई फायदा नहीं है।...*(व्यवधान)* जो पिसा है, वह बारीक पिसा है।...*(व्यवधान)*